**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**सुभाग सिंह**

**बनाम**

**बिहार राज्य एवं अन्य**

2021 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार कांड सं. 831

**2 अगस्त, 2023**

**[माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा]**

**विचार के लिए मुद्दा**

क्या याचिकाकर्ता को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जब्त की गई वाहन की रिहाई का अधिकार है?

**हेडनोट्स**

यदि वाहन को थाना परिसर में खुले में रखा जाता है, तो वह मौसम की स्थिति के कारण प्राकृतिक रूप से नष्ट होकर अपनी सड़क उपयोगिता खो सकता है। (कंडिका- 13)

याचिका स्वीकृत की जाती है। (कंडिका- 15)

**न्याय दृष्टान्त**

सुन्दरभाई अंबालाल देसाई बनाम राज्य गुजरात, **(2002) 10 एस.सी.सी. 283;** श्रीमती बसव्वा कोम द्यामनगौड़ा पाटिल बनाम राज्य मैसूर, **(1977) 4 एस.सी.सी. 358;** जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बनाम राज्य आंध्र प्रदेश, **(2010) 6 एस.सी.सी. 768**

**अधिनियमों की सूची**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 451 एवं 457; भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 379 एवं 411

## मुख्य शब्दों की सूची

वाहन की अंतरिम अभिरक्षा; संपत्ति की जब्ती; आपराधिक मुकदमा; धारा 451 दंप्रसं; धारा 457 दंप्रसं; वाहन की क्षति; क्षेत्राधिकार त्रुटि; संपत्ति विमोचन की शर्तें जब्त संपत्ति

## प्रकरण से उत्पन्न

महेंदिया थाना कांड सं. 55 / 2018, जिला – जहानाबाद, बिहार

## पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री बिंदेश्वरी सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं की ओर से: श्री शिव शंकर प्रसाद, अधिवक्ता

**रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:** अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

## माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2021 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार कांड सं. 831**

थाना कांड सं.- 55 वर्ष- 2018 थाना- मेहंदिया जिला- जहानाबाद से उद्भूत

==========================================================

सुभाग सिंह, पिता- सुदर्शन सिंह निवासी गाँव- दुबौली शिव मंदिर के नजदीक, थाना- गड़हनी, जिला- भोजपुर।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, अरवल, अरवल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अरवल, अरवल।
4. प्रभारी अधिकारी मेहंदिया थाना, अरवल अरवल।

... ... उत्तरदाता/ओं

==========================================================

**उपस्थितिः**

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री बिंदेश्वरी सिंह

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री शिव शंकर प्रसाद

==========================================================

**गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा**

**निर्णय एवं आदेश**

**सी.ए.वी.**

**तारीख : -08-2023**

संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान रिट आवेदन अरवल के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा मेहंदिया थाना कांड सं. 55/2018 में पारित दिनांक 09.09.2019 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत विद्वान दंडाधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा पंजीकरण सं. बी.आर.-02 टी.-8653 वाले अपने बोलेरो वाहन को मुक्त करने के लिए दायर दिनांक 27.07.2019 की याचिका को खारिज कर दिया था और इसके अलावा जहानाबाद

के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षण वाद सं. 54/2019 में पारित दिनांक 04.01.2020 के आदेश को रद्द करने के लिए भी आवेदन किया गया है, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित दिनांक 09.09.2019 के आदेश की पुष्टि की है, साथ ही यदि मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता को दो महीने की अवधि के भीतर वाहन को छोड़ने के लिए अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत करने की स्वतंत्रता है। याचिकाकर्ता ने 05.03.2020 को पुनः अपने वाहन की रिहाई के लिए अरवल के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया, लेकिन विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दिनांक 01.07.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वर्तमान स्थिति में उसका आवेदन स्वीकार्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने उक्त बोलेरो वाहन को रिहा करने के लिए निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया है, जो मेहंदिया थाना में खुले जगह में रखा हुआ है और उक्त वाहन, विचाराधीन में, भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 411 के तहत दर्ज मेहंदिया थाना कांड सं. 55/2018 के संबंध में जब्त किया गया था।

3. वर्तमान रिट आवेदन को जन्म देने वाले का संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि जियो कंपनी के एक पर्यवेक्षक निशांत कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि छह से सात आरोपी दो वाहनों, एक पिकअप वैन और एक अन्य बोलेरो वाहन पर सवार होकर आए और मेहंदिया पुलिस थाना के भीतर विभिन्न टावरों में लगी बैटरियां चुरा ले गए। सूचक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, पुलिस ने उक्त दोनों वाहनों को पकड़ लिया और उनमें लदी कुल 64 बैटरियां बरामद की, दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया और याचिकाकर्ता सहित वाहनों में बैठे छह अन्य सह-आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि वह जब्त किए गए बोलेरो वाहन का मालिक है, जिसका पंजीकरण सं. बी.आर.-02 टी.-8653 है, और वाहन

को छोड़ने के लिए 27.07.2019 को एक आवेदन दायर किया है, लेकिन विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दिनांक 09.09.2019 के आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता की वाहन को छोड़ने की प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वह इस मामले में आरोपी है और उसके खिलाफ आरोप पत्र पहले ही जमा किया जा चुका है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 2019 का आपराधिक पुनरीक्षण सं. 54 वाला एक पुनरीक्षण आवेदन विद्वान सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद के समक्ष दायर किया, जिन्होंने दिनांक 04.01.2020 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि मामले की सुनवाई दो महीने की अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है तो वह अपना वाहन छोड़ने की अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत कर सकता है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि पिकअप वैन को पहले ही उक्त वाहन के मालिक अमरेंद्र कुमार के पक्ष में, दिनांक 19.11.2018 के आदेश द्वारा, अरवल के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जारी किया जा चुका है। याचिकाकर्ता ने पुनः 05.03.2020 को, अपने वाहन की रिहाई के लिए अरवल के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया, लेकिन विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दिनांक 01.07.2020 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता की प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वर्तमान स्थिति में उसका आवेदन विचारणीय नहीं है। उन्होंने आगे दलील दी कि वाहन 2018 से खुले स्थान पर रखा गया है और मौसम व अन्य बाहरी शक्तियों के कारण इसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है।

6. याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करने वाले राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता को 2018 के मेहंदिया थाना मामला सं. 55 में आरोपी व्यक्ति नामित किया गया है और उसे उक्त वाहन से गिरफ्तार किया गया था और उक्त वाहन से चोरी की बैटरी भी बरामद की गई थी। तदनुसार, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बोलेरो वाहन को छोड़ने की प्रार्थना को सही रूप से अस्वीकार कर दिया है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 और 457 कुछ मामलों में लंबित मुकदमे के दौरान संपत्ति की अभिरक्षा और निपटान का आदेश देने की अदालत की शक्ति और संपत्ति की जब्ती पर पुलिस द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है।

9. उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय को ऐसी संपत्ति के संबंध में उचित आदेश पारित करने का अधिकार है। पुलिस द्वारा संपत्ति की जब्ती से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों के उद्देश्य और योजना पर सर्वोच्च न्यायालय ने **सुंदरभाई अंबालाल देसारी बनाम गुजरात राज्य** के मामले में **(2002) 10 एस.सी.सी. 283** के कंडिका 5 और 7 में विचार किया है, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:-

> 5. धारा 451 स्पष्ट रूप से न्यायालय को ऐसी संपत्ति के संबंध में उचित आदेश पारित करने का अधिकार देती है, जैसे कि
>
> (1) जाँच या मुकदमे के समापन तक उचित अभिरक्षा के लिए;
>
> (2) ऐसे साक्ष्य दर्ज करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझे, उसे बेचने या अन्यथा निपटाने का आदेश देना;
>
> (3) यदि संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाली है, तो उसका निपटान करना।
>
> 7. हमारे विचार में, धारा 451 द.प्र.स. के तहत शक्तियों का प्रयोग शीघ्रतापूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। इससे विभिन्न उद्देश्य पूरे होंगे, जैसे:-
>
> 1. वस्तु के मालिक को उसके अप्रयुक्त रहने या उसके दुरुपयोग के कारण कोई नुकसान नहीं होगा;
>
> 2. न्यायालय या पुलिस को वस्तु को सुरक्षित अभिरक्षा में

रखने की आवश्यकता नहीं होगी;

3. यदि वस्तु का कब्जा सौंपने से पहले उचित पंचनामा तैयार किया जाता है, तो उसे मुकदमे के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बजाय साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो, तो संपत्ति की प्रकृति का विस्तार से वर्णन करते हुए साक्ष्य भी दर्ज किए जा सकते हैं; और

4. साक्ष्य दर्ज करने के न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार का शीघ्रता से प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ की कोई और संभावना न रहे।"

10. उक्त निर्णय के कंडिका 17 और 21 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

"17. हमारे विचार में, जो भी स्थिति हो, ऐसे जब्त किए गए वाहनों को लंबे समय तक थानों में रखने का कोई फायदा नहीं है। यह दंडाधिकारी पर है कि वह किसी भी समय आवश्यक होने पर उक्त वाहनों की वापसी के लिए उचित बंधपत्र और प्रत्याभूति के साथ-साथ सुरक्षा लेकर तुरंत उचित आदेश पारित करे। यह ऐसे वाहनों की वापसी के लिए आवेदनों की सुनवाई लंबित रहने तक किया जा सकता है।

21. हालाँकि, इन शक्तियों का प्रयोग संबंधित दंडाधिकारी द्वारा किया जाना है। हमें आशा और विश्वास है कि संबंधित दंडाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे कि धारा 451 द.प्र.स. के तहत शक्तियों का उचित और शीघ्रता से प्रयोग किया जाए और कोई भी वस्तु थाने में लंबे समय तक, किसी भी स्थिति में, पंद्रह दिनों से एक महीने तक से अधिक समय तक न रखी जाए। यह उद्देश्य तब भी

> प्राप्त किया जा सकता है जब संबंधित उच्च न्यायालय की निबंधन द्वारा उचित पर्यवेक्षण किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी वस्तुओं के संबंध में बनाए गए नियमों का उचित रूप से कार्यान्वयन किया जाए।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **श्रीमती बसव्वा कोम दयामंगौड़ा पाटिल बनाम मैसूर राज्य एवं अन्य** के मामले में **1977 (4) एस.सी.सी. 358** में दिए गए एक अन्य निर्णय में, पुलिस द्वारा संपत्ति की जब्ती और द.प्र.स. के विभिन्न प्रावधानों के उद्देश्य और योजना पर विचार करते हुए, कंडिका-4 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

> "4. संहिता के विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य और योजना यह प्रतीत होती है कि जहां संपत्ति जो किसी अपराध का विषय रही है, उसे पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाता है: चूंकि पुलिस द्वारा संपत्ति की जब्ती किसी सरकारी कर्मचारी को संपत्ति का स्पष्ट रूप से सौंपने के बराबर है, इसलिए विचार यह है कि संपत्ति को बनाए रखने की आवश्यकता समाप्त होने के बाद उसे मूल मालिक को वापस कर दिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि दो चरण हो सकते हैं जब संपत्ति को मालिक को वापस किया जा सकता है। सबसे पहले इसे किसी भी जांच या मुकदमे के दौरान वापस किया जा सकता है। यह विशेष रूप से आवश्यक हो सकता है जहां संबंधित संपत्ति तेजी से या प्राकृतिक क्षय के अधीन है। अन्य बाध्यकारी कारण भी हो सकते हैं जो मालिक को संपत्ति के निपटान को या अन्यथा न्याय के हित में उचित ठहरा सकते हैं। उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश इस आधार पर आगे बढ़े कि संहिता की आवश्यक आवश्यकताओं में से एक यह है कि संबंधित वस्तुओं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए या उनकी

अभिरक्षा में होना चाहिए। संहिता का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि कोई भी संपत्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के नियंत्रण में है, उसका न्यायालय द्वारा निपटान किया जाना चाहिए और इसके निपटारे के संबंध में न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए। किसी भी आपराधिक मामले में, पुलिस हमेशा न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करती है और उसे जाँच या मुकदमे के प्रत्येक चरण में न्यायालय से आदेश लेना होता है। इस व्यापक अर्थ में, न्यायालय उन सभी मामलों में पुलिस अधिकारियों के कार्यों पर समग्र नियंत्रण रखता है जहाँ उसने संज्ञान लिया है।"

12. फिर भी, एक अन्य निर्णय में, **जनरल इंश्योरेंस काउंसिल एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य** के मामले में, **(2010) 6 एस.सी.सी. 768** में रिपोर्ट किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 और 457 में निहित वैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि थाना में जब्त वाहन को मौसम की स्थिति के कारण प्राकृतिक क्षय से बचाया जा सके और **जनरल इंश्योरेंस काउंसिल** (उपरोक्त) के कंडिका 11 और 14 में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:-

"11. उक्त याचिका की सूचना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई थी। लगभग सभी राज्यों ने तर्क दिया है कि उन्होंने पहले ही संहिता की धारा 451 और 457 में निहित प्रावधानों के पूर्ण और संपूर्ण अनुपालन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश और निर्देश जारी कर दिए हैं, जैसा कि सुंदरभाई अंबालाल देसाई (उपरोक्त) में विस्तार से बताया गया है और साथ ही मो.वी. अधिनियम की धारा 158(6) और नियमों 159 के तहत भी, जैसा कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल मामले

(उपरोक्त) में निर्देशित किया गया है। इस प्रकार, एक स्वर में, उन्होंने तर्क दिया है कि इस न्यायालय द्वारा निर्देशित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जारी किए जा सकने वाले निर्देशों के अनुपालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार, हमारे विचार में, इस मामले में सहमति प्रतीत होती है।

14. यह सर्वविदित है कि जब भी वाहनों को जब्त किया जाता है और विभिन्न थानों में रखा जाता है, तो वे न केवल थानों के पर्याप्त स्थान पर कब्जा कर लेते हैं, बल्कि खुले में रखे जाने पर मौसम की स्थिति के कारण तेजी से प्राकृतिक रूप से खराब भी हो जाते हैं। एक अच्छी तरह से रखरखाव किया गया वाहन भी अपनी सड़क योग्यता खो देता है यदि उसे पंद्रह दिनों से अधिक समय तक थाना में खड़ा रखा जाए। उपरोक्त के अलावा, यह भी सर्वविदित है कि उक्त वाहनों के कई मूल्यवान और महंगे हिस्से या तो चोरी हो जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं जिससे वाहन सड़क पर चलने लायक नहीं रह जाता। इन सब से बचने के लिए, उपरोक्त निर्देशों के अलावा, हम निर्देश देते हैं कि सभी राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश/पुलिस महानिदेशक वैधानिक प्रावधानों का व्यापक कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे और आगे निर्देश देते हैं कि प्रत्येक थाना की गतिविधियाँ, विशेष रूप से जब्त वाहनों के निपटान के संबंध में, संबंधित मंडल के पुलिस महानिरीक्षक/संबंधित शहरों के पुलिस आयुक्त/संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा देखी जाएँ।

13. उपरोक्त विधि चर्चा और मामले से जुड़े तथ्यों के मद्देनजर, मेरा यह सुविचारित मत है कि विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अरवल और विद्वान सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद ने

अपने क्षेत्राधिकार का सही कानूनी परिप्रेक्ष्य में प्रयोग नहीं किया है और इस प्रकार एक महत्वपूर्ण अनियमितता की है, क्योंकि यदि विचाराधीन वाहन को थाने में खुले में रखने की अनुमति दी जाती है, तो मौसम की स्थिति के कारण प्राकृतिक क्षय के कारण यह अपनी सड़क उपयोगिता खो सकता है। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता वाहन का मालिक है, जैसा कि इस संबंध में पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है और यह वाहन 2018 से थाने में खुले में पड़ा हुआ है।

14. तदनुसार, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अरवल द्वारा पारित दिनांक 09.09.2019 के आदेश और विद्वान सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद द्वारा पारित दिनांक 04.01.2020 के आदेश के साथ-साथ विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अरवल द्वारा पारित दिनांक 01.07.2020 के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अरवल को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर वाहन के स्वामित्व/पंजीकरण का सत्यापन करने के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में वाहन को निम्नलिखित शर्तों के अधीन छोड़ देंः-

(i) कि याचिकाकर्ता न्यायालय की संतुष्टि के लिए 1 लाख रुपये की पर्याप्त सुरक्षा राशि प्रस्तुत करेगा।

((ii) कि याचिकाकर्ता को वाहन सौंपने से पहले, उसकी तस्वीर लेने के बाद उक्त वाहन का एक विस्तृत और उचित पंचनामा तैयार किया जाएगा।

(iii) कि याचिकाकर्ता इस बंधपत्र को भी निष्पादित करेगा कि विचाराधीन वाहन को परीक्षण के समय आवश्यकता पड़ने पर पेश करेगा।

(iv) कि याचिकाकर्ता शपथ पर एक वचन पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि वह मुकदमे के लंबित होने तक वाहन के स्वामित्व को अलग नहीं करेगा या उसके साथ भाग नहीं लेगा।

15. परिणामस्वरूप, इस रिट आवेदन को उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ अनुमति दी जाती है।

**(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)**

अश्विनी/-

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**